देवघर समाहरणालय

(जिला पंचायती राज कार्यालय, देवघर)

आदेश

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या–1453/पं0, दिनांक–03.05.2016 एवं अधिसूचना संख्या–80, दिनांक–28.04.2016 में द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार 14वें वित्त आयेाग के अन्तर्गत देवघर जिला के सभी प्रखंडों के लिए 20 (बीस) (2 प्रति प्रखंड की दर से) **कनीय अभियन्ता** एवं सभी ग्राम पंचायतों के लिए 65(पैंसठ) (प्रत्येक तीन पंचायत पर एक) **लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर** की नियुक्ति संविदा के आधार पर करने के लिए कार्यालय ज्ञापांक–353/जि०पं०, दिनांक 05.08.2016 के माध्यम से विहित प्रपत्र में दिनांक 31.08.2016 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों को समेकित कर विहित प्रपत्र में पदवार सूची तैयार कर संलग्न आवेदन पत्रों में से शुल्क अधोहस्ताक्षरी के खाते में जमा करने की कार्रवाई की गयी। आवेदन में अंकित सूचना के आधार पर पदवार (कनीय अभियन्ता हेतु 334 तथा लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु 734 आवेदन पत्र) सूची (सॉफ्ट प्रति संलग्न) तैयार की गयी है, जिसे **जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर** इस जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करायेंगे। सम्बन्धित अभ्यर्थी सूची देखकर अपना आपत्ति पर्याप्त साक्ष्य के साथ दिनांक 2/1/17 तक उपायुक्त, देवघर अथवा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर के ई–मेल deoghardpro@gmail.com पर भेज सकते हैं।

विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन जिला स्तरीय चयन समिति में रखा जायेगा तथा समिति में ही आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

27/12/16

उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 755/जि०पं०, देवघर, दिनांक 28वीं दिसम्बर, 2016 ई०।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि वे इस सूचना को देवघर समाहरणालय के सूचना पट्ट/विकास भवन, देवघर के सूचना पट्ट पर चिपकवायेंगे।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इस सूचना को अपने–अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिवकवायेंगे।

27/12/16

उपायुक्त,
देवघर।